कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः– 01-05-2018

:: निर्णय /डिकी ::

श्री देवा, हरिलाल, कनू, भरतलाल पिता मानजी , कंकू पत्नि मानजी सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प आंतरी में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारों द्वारा ग्राम ओजरी की जमाबंदी संवत् 2072–75 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक –2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुतकिया गया । बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस केसंबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारें की अभिशंषा की गई ।

ग्राम आंतरी पटवार हल्का आंतरी की जमाबंदी सम्वत् 2072–75 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 13 नया 12 पुराना खसरा नं0 49, 421/290,431/31 योग किता 3 योग रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा में श्री देवा, हरिलाल, कनू, भरतलाल पिता मानजी , कंकू पत्नि मानजी भील सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम आंतरी के खाता नं0. 13 नया 12 पुराना के खसरा नं0 49, 421/290,431/31 योग किता 3 योग रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा का सहखातेदारो के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय /डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

SDO.